

कार्यालय

प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा

दूरभाष : 05962.230065, फ़ैक्स: 05962.232182 ई-मेल almoraforestdivision@rediffmail.com
पत्रांक 5005 112-122 अल्मोड़ा दिनांक 6-4-2023

सेवा में,

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊ वृत्त,
उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

विषय - जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत थला-भ्याड़ी-भीताकोट मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.325 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव संख्या- FP/UK/ROAD/9401/2015)

सन्दर्भ - अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून का पत्रांक 2846 / FP/UK/ROAD/9401/2015 दिनांक 28.05.2022।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा आपत्ति के निराकरण के क्रम में के०एम०एल० फाईल में लाभान्वित गांव में प्रदर्शित कर दिया गया है एवं गांव के जी०पी०एस० कॉर्डिनेट्स पूर्व में प्रेषित प्रत्युत्तर में अंकित कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त मोटर मार्ग के आवश्यकता के सम्बन्ध में आख्या संलग्न कर दिया गया है।

अतः प्रस्ताव में लगायी गयी आपत्तियों का निराकरण कर इस आशय से प्रेषित किया जा रहा है कि प्रस्ताव में अपने स्तर से अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्न-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,


प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा।

o/c

21-3-2023



Ph. No. 05966-220679,
Fax No. 05966-220679

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत

विशेष वाहक द्वारा



E-mail - eepdrani@yahoo.com

पत्रांक
सेवा में,

1104/36सी

दिनांक रानीखेत मार्च 18, 2023.

प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग,
अल्मोड़ा।

विषय :- जनपद अल्मोड़ा में थला भ्याड़ी से भीताकोट मार्ग का निर्माण (प्रस्ताव संख्या-9401/2015)।

सन्दर्भ :- आपके द्वारा लगाई गई ऑन लाईन आपत्ति दिनांक 13.02.2023।

महोदय,

विषयक प्रकरण में अवगत कराना है कि विषयगत मार्ग की के0एम0एल0 फाईल लाभान्वित ग्रामों को दर्शाते हुए दिनांक 04.02.2023 के ही पोर्टल पर अपलोड कर दी गयी थी एवं मार्ग की आवश्यकता का आकलन सम्बन्धी पत्र पूर्व में इस कार्यालय के पत्रांक 360/36सी. दिनांक 02.02.2019, पत्रांक 1546/36सी. दिनांक 07.06.2019 एवं पत्रांक 1934/36सी. दिनांक 16.09.2021 द्वारा पूर्व में ही प्रेषित किये जा चुके हैं एवं उक्त सभी ऑन लाईन पोर्टल पर भी उपलब्ध है। पुनः अवलोकनार्थ तीन-तीन प्रतियों में संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

उपरोक्त पत्र वन प्रभाग,
दीकृत सं. 9640
दिनांक सं. 12-11-2022
सूचि सं. 21-3-2023

(इं. ओंकार पाण्डेय)
अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत।

पत्रांक

/ तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि सहायक अभियन्ता(तृतीय), प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत।

**कार्यालय अधिवासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत**

पंजीकृत

Ph. No. 95966-220679, Fax No. 05966-220679

E-mail - eepranti@yahoo.com

पत्रांक 360/36सी.
सेवा में,

दिनांक रानीखेत जनवरी 2/2019
जनवरी

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण इन्दिरा नगर फॉरेस्ट कॉलोनी,
उत्तराखण्ड देहरादून।

विषय :- जनपद अल्मोड़ा में थला भ्याड़ी से भीताकोट मोटर मार्ग का निर्माण।(प्रस्ताव संख्या-9401/2015)

सन्दर्भ :- आन लाईन आपत्ति दिनांक 30.01.2109

महोदय,

उपरोक्त विषय के क्रम में अवगत कराना है कि प्रस्ताव में लगाई गई आपत्तियों का निम्नानुसार निराकरण कर प्रस्ताव पुनः आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है-

क्र.सं.	आपत्ति	निराकरण																											
1	2	3																											
1.	Regarding point 4 of this office EDS dated 04.08.2016 the State Govt Stated that to make the connectivity to existing road for the benefit of adjacent villages this stretch is required. The State Govt may provide name, location (geo-coordinate) and distance from the proposed stretch of those village said to be benefited with this long stretch towards end point of the proposed alignment.	Name, location (geo-coordinate) and distance from the proposed stretch of benefited village (hamlet) with this long stretch towards end point of the proposed alignment is as below-- <table border="1"> <thead> <tr> <th>Name of Village</th> <th>Coordinates</th> <th>Distance from Proosed stretch</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Riwali Walli</td> <td>29°41'56.81"N 79°08'52.39"E</td> <td>1600 m</td> </tr> <tr> <td>Riwali Palli</td> <td>29°42'05.75"N 79°08'31.79"E</td> <td>825 m</td> </tr> <tr> <td>Mayalgaon</td> <td>29°42'02.23"N 79°08'24.17"E</td> <td>1000 m</td> </tr> <tr> <td>Guruvwadhunga</td> <td>29°43'51.84"N 79°08'06.36"E</td> <td>900 m</td> </tr> <tr> <td>Bhitakotkhal</td> <td>29°44'59.40"N 79°06'32.49"E</td> <td>680 m</td> </tr> <tr> <td>Khairad</td> <td>29°43'52.10"N 79°06'47.49"E</td> <td>150 m</td> </tr> <tr> <td>Jamraya Tall</td> <td>29°44'20.73"N 79°06'50.00"E</td> <td>100 m</td> </tr> <tr> <td>Jamraya Malla</td> <td>29°44'05.82"N 79°06'11.71"E</td> <td>700 m</td> </tr> </tbody> </table>	Name of Village	Coordinates	Distance from Proosed stretch	Riwali Walli	29°41'56.81"N 79°08'52.39"E	1600 m	Riwali Palli	29°42'05.75"N 79°08'31.79"E	825 m	Mayalgaon	29°42'02.23"N 79°08'24.17"E	1000 m	Guruvwadhunga	29°43'51.84"N 79°08'06.36"E	900 m	Bhitakotkhal	29°44'59.40"N 79°06'32.49"E	680 m	Khairad	29°43'52.10"N 79°06'47.49"E	150 m	Jamraya Tall	29°44'20.73"N 79°06'50.00"E	100 m	Jamraya Malla	29°44'05.82"N 79°06'11.71"E	700 m
Name of Village	Coordinates	Distance from Proosed stretch																											
Riwali Walli	29°41'56.81"N 79°08'52.39"E	1600 m																											
Riwali Palli	29°42'05.75"N 79°08'31.79"E	825 m																											
Mayalgaon	29°42'02.23"N 79°08'24.17"E	1000 m																											
Guruvwadhunga	29°43'51.84"N 79°08'06.36"E	900 m																											
Bhitakotkhal	29°44'59.40"N 79°06'32.49"E	680 m																											
Khairad	29°43'52.10"N 79°06'47.49"E	150 m																											
Jamraya Tall	29°44'20.73"N 79°06'50.00"E	100 m																											
Jamraya Malla	29°44'05.82"N 79°06'11.71"E	700 m																											
2.	In the reply of this office EDS dated 04.08.2016 point 6 justification for locating the project in forest area is still not appears to be appropriate.	To beneficiate the mention villages constructions of the road is to be done as per given alignment. Certificate for non availability of other land is attached, and it is also mentioned in joint inspection certificate. (copy attached)																											
3.	In reply of this office EDS dated 04.08.2016 point 7 though the State Govt uploaded complete FRA with all annexure at para K in online Part I but the clarification regarding mismatch of date in one proceeding of village level committee for Gathiya/Garhkot Talla is still not provided. The State Govt may do the necessary correction.	Clarification regarding mismatch of date in one proceeding of village level committee for Gathiya/Garhkot Talla is corrected. And corrected copy attached.																											
4.	In reply of this office EDS dated 04.08.2016 point 11 though the letter of Executive Engineer uploaded as additional document in serial number 2 in Part I in which it is informed that the administrative approval is validated for 2016-17 also but no comment is provided by the State Govt and neither justified with supportive document.	Administrative Approval and Financial Sanction for Construction of this road is validated Till the completion of work. As suortive document GO no. 1542/III(2)/09-22 (CM Ghoshna)/2009 dated 31-03-2010 is attached.																											

5.	In reply of this office EDS dated 04.08.2016 point 13 regarding correction in tree proposed to be felled is not done. The State Govt may provide/upload revised tree enumeration list authenticated by DFO for 238 trees as information provided in online Part II.	Part II is concerned with DFO office.
6.	The site suitability certificate is still not opened uploaded in online Part II. the State Govt may upload the same as an additional document.	Part II is concerned with DFO office. Copy of certificate is attached with this letter.
7.	The State Govt may provide hard copy of the proposed including all original documents to this office as directed vide ministry letter dated 17.11.2016	Hard Copy submitted vide this office letter no. 1057/36C dated 16.05.2016 (Receipt attached in Additional information)
8.	The original hard copy of all revised documents may also provide with the reply	The original hard copy of all revised document attached with this letter.

संदर्भ - उपरोक्तानुसार 3-उपतिथीके

अधिरासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, राजीवखेत

Ph. No. 05966-220679
Fax No. 05966-220679

E-mail - ecplcania@yahoo.com

पत्रांक 1546 / 36सी.

दिनांक राजीवखेत जून ७, 2019.

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
भूमि सर्वेक्षण निदेशालय,
इन्दिरा नगर, फ़ॉरिस्ट कालोनी,
दहरादून।

विषय :- जनपद अल्मोड़ा में शला ग्याड़ी से भीताकोट मोटर मार्ग का निर्माण (प्रस्ताव संख्या-9401/2015)।

सन्दर्भ :- भारत सरकार का पत्रांक 8बी./यू.सी.पी./06/168/2016/एफ.सी./2414 दिनांक 14.03.2019।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के अनुपालन में अवगत करना है कि उक्त मोटर मार्ग के वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में लगायी गयी आशंक्तियों का निराकरण कर प्रेषित किया गया था, जिसमें विन्दु संख्या-1 के अनुसार उल्लिखित ग्रामों को दर्शाते हुए मार्ग की आवश्यकता का आकलन कर इस कार्यालय के पत्रांक 360/36सी. दिनांक 02.02.2019 द्वारा प्रेषित की गयी है। सुलभ सन्दर्भ हेतु पुनः ऑन लाईन प्रेषित किया जा रहा है।

अतः प्रस्ताव में अग्रिम कार्यवाही करने की कृपा करें।

राजीवखेत
अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
राजीवखेत।

पत्रांक /

तद्दिनांकित

प्रतिलिपि प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा को सादर सूचनाएं एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि सहायक अभियन्ता(चतुर्थ), प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, राजीवखेत को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
राजीवखेत।

वन भूमि की विस्तृत आख्या / औचित्य

परियोजना का नाम :- जनपद अल्मोड़ा में थला-भ्याड़ी-भीताकोट मोटर मार्ग नव का निर्माण। (किमी.16से 26)(5.00किमी.)

उपरोक्त मोटर मार्ग की स्वीकृति शासनादेश सं. 1542/III(2)/09-22(मा0मु0घा0)/2009 दिनांक 31.03.2010 के द्वारा 15.00 किमी. लम्बाई हेतु रूपया 525.00 लाख की स्वीकृति प्राप्त हुई है।

इस मोटर मार्ग के निर्माण से क्षेत्रीय जनता को आर्थिक एवं व्यापारिक लाभ मिलेगा एवं रोजगार प्राप्त होगा व पलायन की कमी के साथ-साथ पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा एवं ग्रामिणों द्वारा उत्पादित फल, सब्जी, अनाज, इत्यादि को मण्डी तक पहुंचाने में सीधा लाभ प्राप्त होगा।

इस मोटर मार्ग के निर्माण हेतु कम से कम वन भूमि का लिया गया है, तथा सर्वेक्षण के दौरान विभागीय मानकों को देखते हुए स्थल पर सर्वेक्षण कार्य कराया गया है, परन्तु इस मार्ग के निर्माण हेतु ऐसा कोई विकल्प उपलब्ध नहीं है, जिसमें मार्ग निर्माण से वन भूमि प्रभावित नहीं होती है। स्थल पर मार्ग निर्माण हेतु ऐसा समरेखण प्रस्तावित किया गया जिसमें न्यूनतम वन भूमि तथा वृक्ष प्रभावित होते हैं।

अतः मोटर मार्ग के निर्माण हेतु समरेखण में 1.767है० सिविल बेनाप भूमि, 1.5675है० वन पचायत भूमि, कुल 3.325है० वन भूमि का हस्तान्तरण हेतु प्रस्ताव गठित किया गया है।



कनिष्ठ अभियन्ता

प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत




सहायक अभियन्ता

प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत



अधिरासी अभियन्ता,

प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत



जनपद अल्मोड़ा का अधिकारी
भौतिकी वन क्षेत्र
अल्मोड़ा वन विभाग, रानीखेत

उपपर्यायक अधिकारी-रानीखेत
अल्मोड़ा वन विभाग, रानीखेत

अधीनस्थ अधिकारी,
अल्मोड़ा वन विभाग, रानीखेत